रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA



एस.जी.-डी.एल.-अ.-05092020-221574 SG-DL-E-05092020-221574

असाधारण EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 182]	दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 4, 2020/भाद्र 13, 1942	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 125
No. 182]	DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 4, 2020/BHADRA 13, 1942	[N. C. T. D. No. 125

भाग IV PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 4 सितम्बर, 2020

सं. फा. 6/11/2020-न्याय/अधी.विधि./902-907.—दिनांक 25 जुलाई, 1970 की अधिसूचना संख्या 1/2/70—डीएच (एस) द्वारा यथासंशोधित गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 29 मई, 1970 की अधिसूचना सं. 1/2/70—डीएच (एस) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस संबंध में उसे समर्थ बनाने वाली अन्य समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली उच्च न्यायालय के परामर्श से दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा नियमावली, 1970 की अनुसूची समय—समय पर यथासंशोधित, को निम्न अनुसूची से प्रतिस्थापित करते हैं:—

1 सक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ

- (1) इन नियमों को दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा (संशोधन) नियमावली, 2020 कहा जाये।
- (2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

4117 DG/2020 (1)

2. नियम 4 के तहत निर्दिष्ट अनुसूची में संशोधन नियम 4 में निर्दिष्ट निम्नलिखित अनुसूची को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

अनुसूची (नियम 4 देखिये)

	(नियम ४ दाखय)		
1.	प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश *		11
2.	प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश–सह–विशेष न्यायाधीश		01
	(पी०सी० एक्ट) (सी०बी०आई०) *		
3.	जिला न्यायाधीश (वाणिज्यिक न्यायालय) सुपर टाइम स्केल में		22
4.	फास्ट ट्रैक न्यायालय		18
5.	अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायालय / औद्योगिक अधिकरण / श्रम न्यायालय, सहित)	अधिकरण/वाहन दुर्घटना दावा	231
6.	प्रतिनियुक्ति व लीव रिजर्व		34
		कुल	<u>317</u>
	टाइम स्केल पद		171
	सिलेक्शन ग्रेड के पद 25 प्रतिशत की दर से		79
	सुपर टाइम स्केल पदः		
	प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश * — 11)		
	प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश–सह–विशेष		
	न्यायाधीश (पी०सी० एक्ट) (सी०बी०आई०) * - 01		66
	जिला न्यायाधीश (वाणिज्यिक न्यायालय) – 22		
	संवर्ग संख्या का 10 प्रतिशत की दर से - 32		

^{*} जिला व सत्र न्यायाधीश एवं जिला व सत्र न्यायाधीश—सह—विशेष न्यायाधीश (पी०सी० एक्ट) (सी०बी०आई०) के पद को प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश एवं प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश—सह—विशेष न्यायाधीश (पी०सी० एक्ट) (सी०बी०आई०) के साथ बिना किसी अतिरिक्त वित्तीय निहितार्थ के नया स्वरूप दिया गया है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेशानुसार तथा उनके नाम पर, संजय कुमार अग्रवाल, प्रधान सचिव

DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS NOTIFICATION

Delhi, the 4th September, 2020

No.F. 6/11/2020-Judl./Suptlaw/902-907.—In exercise of powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No.1/2/70-DH(S) dated 29th May, 1970 as amended by Notification No.1/2/70-DH(S) dated 25th July, 1970 and all other powers enabling him in this behalf, the Lieutenant Governor of the National Captial Territory of Delhi, in consultation with the High Court of Delhi, is pleased to substitute the following new schedule, for the schedule as amended from time to time, to the Delhi Higher Judicial Services, Rules, 1970 namely:—

1. Short title and commencement. -

(1) These rules may be called the Delhi Higher

Judicial Service (Amendment) Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of Schedule specified under rule 4:

The following Schedule specified in rule 4, shall be substituted namely:—

SCHEDULE (see Rule 4)

1	Principal District and Sessions Judges*		11
2	Principal District & Sessions Judge-cum-Special Judge (PC Act) (CBI) *		
3	District judge (Commercial Courts) in Super Time Scale		
4	Fast Track Courts		18
5	Additional District and Sessions Judges		231
	(including Special Courts / Industrial Tribunal/ MACTs/Labour Courts)		
6	Deputation and Leave Reserve		34
	•	Total	317
	Time Scale Posts		171
	Selection Grade Posts @ 25%		79
	Super Time Scale Posts:		
	Principal District and Sessions Judges* - 11		
	Principal District & Sessions Judge-		
	cum-Special Judge (PC Act) (CBI) * - 01		
	District Judge Commercial Court - 22		66
	@10% of the Cadre strength - 32		
	J		

^{*} The post of District and Sessions Judge and District & Sessions Judge-cum-Special Judge (PC Act) (CBI) is redesignated as Principal District and Sessions Judge and Principal District & Sessions Judge-cum-Special Judge (PC Act) (CBI) with no extra financial implications.

By Order and in the Name of Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, SANJAY KUMAR AGGARWAL, Principal Secy.